अध्याय XI

समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

इस्पात मंत्रालय सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण से संबंधित सरकार की नीति के कार्यान्वयन के प्रबोधन के लिए एक सम्पर्क अधिकारी के अधीन एक सैल कार्य कर रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों पर उनकी भर्ती/पदोन्नति के संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम से आवधिक समीक्षाएं और रिपोर्टों की इस सैल में जांच की जाती है और जब तथा जैसी आवश्यकता होती है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सम्बद्ध कार्यालयों को समुचित अनुदेश दिए जाते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं;

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सहायता के क्षेत्र जो समाज के कमजोर वर्गों को भी उपलब्ध हैं, को नीचे दर्शाया गया है;

- इस्पात बस्तियों में लगभग 200 स्कूल हैं जिसमें 6000 अध्यापक कार्यरत है और ये एक लाख से अधिक बच्चों को उत्तम कोटि की शिक्षा देते हैं।
- खेल-कूद विकास योजनाएं जो मेधावी बच्चों की खोजने पर ध्यान देती हैं और पात्र छात्रों को छात्रवृति देने सहित आवश्यक प्रशिक्षण मुहैया करती हैं।
- भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ संयुक्त उद्यम में हाकी तथा हैंडबाल अकादमियां।
- कला केन्द्रों के रूप में अवसंरचनात्मक स्कूलों को खोलना और सांस्कृतिक कार्यकलापों को उत्साहित करना।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में राष्ट्रपति के निदेशों को सतत् आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है और उनका नियमित रूप से प्रबोधन किया जा रहा है। 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार सेल में कुल 152175 जनशक्ति में 14.7% अनुसूचित जाति, 11.5% अनुसूचित जनजाति तथा 6% अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारी हैं।

पदों का वर्गीकरण	कुल कर्मचारी	अनु.जाति		अनु.जनजाति		अल्पसंख्यक	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8
समूह-क	15897	1722	10.83	761	4.79	583	3.67
समूह-ख	44371	4612	10.39	3149	7.1	3909	8.81
समूह-ग *	90612	14729	16.26	13507	14.91	4731	5.22
समूह-घ **	1295	1339	103.4	202	15.6	14	1.08
कुल	152175	22402	14.72	17619	11.58	9237	6.07

* (सफाई कर्मचारी को छोड़कर) ** (सफाई कर्मचारी)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.)

31.3.2004 की स्थिति के अनुसार समग्र जनशक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नीचे दर्शाया गया है :

ग्रुप	कुल कर्मचारी	अनु.जाति		अनु.जनजाति		अल्पसंख्यक	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8
समूह-क	4533	738	16.28	169	3.73	713	15.73
समूह-ख	899	155	17.24	67	7.45	184	20.47
समूह-ग	9542	1606	16.83	648	6.79	1792	18.78
समूह-घ	1731	249	14.38	132	7.63	422	24.38
समूह-घ (सफाई कर्मचारी)	50	17	34.00	1	2.00	9	18.00
योग	16755	2765	16.50	1017	6.07	3120	18.62

वर्ष 2003-2004 के दौरान डॉ.बी आर अम्बेडकर तथा बाबू जगजीवन राम जयन्ती समारोह 2003 के सम्बंध में सामुदायिक कल्याण केन्द्र, उक्कुनगरम में दो स्मरणोत्सव बैठक आयोजित की गई तथा तत्पश्चात् सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वी एस पी के विभिन्न अनुसूचित जाति/जनजाति के एशोसिएशनों के सचिवों और अध्यक्षों को अन्य उद्योगों में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दिए जा रहे कल्याणकारी उपायों के संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए औद्योगिक पदों पर भेजा गया।

एन एम डी सी के हीरे

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृति:

केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक छात्रवृति योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्रतिवर्ष 250 रुपये प्रतिमाह की दो छात्रवृतियां तथा एक 150 रुपये प्रति माह की छात्रवृति दी जाती है। अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों हेतु मेरिट कैश अवार्ड स्कीम भी चल रही है।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएमडीसी)

श्रम शक्ति

31.3.2004 की स्थिति के अनुसार एनएमडीसी के

Untitled-4 96 9/30/04, 11:11 AM

कुल 5813 नियमित कर्मचारियों में से 1075 अनुसूचित जाति (18.49%), 1105 अनुसूचित जनजाति (19.01%) 387 अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारी (6.66%) हैं।

ग्रुप	कुल कर्मचारी	अनु.जाति		अनु.जनजाति		अल्पसंख्यक	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8
समूह-क	992	118	11.90	44	4.44	80	8.06
समूह-ख	1090	151	13.85	164	15.05	29	2.66
समूह-ग	2510	516	20.56	619	24.66	130	5.18
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	1141	231	20.25	270	23.66	148	12.97
समूह-घ (सफाई कर्मचारी)	80	59	73.75	8	10.00	0	-
कुल	5813	1075	18.49	1105	19.01	387	6.66

चिकित्सा

परियोजना के अस्पतालों में दांतेवाड़ा जिले में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) को निशुल्क भोजन सहित परिवार कल्याण संबंधी परामर्श एवं आपरेशन सहित सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं (बाह्य एवं भर्ती रोगियों) को निशुल्क प्रदान की जाती हैं। आदिवासी भर्ती रोगियों के परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिए आराम करने के लिए आश्रय बनाए गए हैं। आसपास के गांवों में प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लाभ के लिए स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सक्रिय संगठनों के नेत्र कैम्प/पल्स पोलियों टीकाकरण कार्यक्रम/परिवार कल्याण के कैम्प आयोजित किए गए। एनएमडीसी ने छत्तीसगढ़ में नेत्र चिकित्सा कैम्पों का आयोजन किया जिसमें अनेक आदिवासियों की जांच की गई/आपरेशन किया गया। उन्हें क्रैच/तिपहियों/कृत्रिम पैर भी प्रदान किए गए। अवसंरचना, प्रसव अस्पताल जिसके साथ डाक्टरों के आवास भी हो, के प्रावधान सहित पीएचसी का निर्माण और पुर्नरूद्वार/मरम्मत कार्य किया गया।

शिक्षा

परियोजना के स्कूलों में स्थानीय आदिवासियों के बच्चों और अनुसूचित जाति के छात्रों को निशुल्क शिक्षा सुविधाएं दी जाती हैं। अनेक स्कूलों की बिल्डिंगों, कक्षाओं के लिए अतिरिक्त कमरों, आश्रम तथा होस्टलों के निर्माण कार्य के अतिरिक्त, परियोजना क्षेत्र में राज्य सरकार के अनेक स्कूलों जिसमें आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं, की बिल्डिंगों की मरम्मत/पुर्नरूद्वार के कार्यो जिसमें विद्युतीकरण के कार्य भी शामिल हैं, को एन एम डी सी नियमित रूप से कर रहा है।

कम्पनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों/कुछ स्कूलों और आश्रम के लिए रंगीन टीवी, पंखे, टूयूब लाइट, खेल-कूद का समान फर्नीचर, वर्दी, किताबें आदि तथा डिग्री कालेजों के लिए फर्नीचर भी सप्लाई कर रही है। उन सभी आदि बच्चों को नगद पुरस्कार राशि दी

जाती है ताकि अभिज्ञात आदिवासी स्कूलों में साकारात्मक रूप से प्रोत्साहित किया जा सके और उन्हें प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। बैलाडिला में, स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण संस्थानों में में जा सके और नौकरी प्राप्त कर सके। एन एम डी सी की भी स्थापना की है। इस संस्थान का सम्पूर्ण खर्च एन एम डी सी द्वारा वहन किया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2003-2003 के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आम पिछड़े वर्गों/विकलांगों तथा भूतपूर्व सैनिकों को भी शामिल किया गया। इसका ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष	अनु. जाति	अनु. जन जाति	सामान्य (अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग भूतपूर्व सैनिक)
2003-2004	478	502	1777

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड

31.3.2004 की स्थिति के अनुसार कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड में कर्मचारियों की कुल संख्या 2152 थी इसमें से 326 व्यक्ति अनुसूचित जाति(15.15%), 88 व्यक्ति अनुसूचित जन जाति (4.07%) तथा 300 व्यक्ति अन्य पिछड़े वर्गो (13.94%) के थे। इसके अतिरिक्त 134 महिलाएं (6.23%), 36 शारीरिक रूप से विकलांग (1.67%) तथा 75 भूतपूर्व सैनिक (3.39%) है।

कल्याण संबंधी उपाय

कंपनी ने कुद्रेमुख और मंगलौर में आधुनिक बस्ती, अस्पताल, मनोरंजन सुविधाओं आदि की स्थापना करके समपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। "ए" और "बी" टाइप के 10% क्वार्टर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं।

वर्ष 2001-2003 के दौरान कर्मचारियों के बच्चों को 15 योगयता छात्रवृतियां तथा 40 योग्यता एवं साधन छात्रवृतियां मंजूर की गई। 55 छात्रवृतियों में से 20% छात्रवृतियां अर्थात 11 छात्रवृतियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों के लिए मंजूर की गई। अनु. जाति/जन जाति के कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृति देने के लिए पात्रता के अर्हक मानक अर्थात प्रथम श्रेणी अथवा 60% इनमें से जो भी अधिक हो, कुल अंकों में से छूट देकर 50% कर दिया गया।

अनु. जाति/अनु. जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक बैठकें

प्रबंधन अनु.जाति/अनु. जनजाति कल्याण एसोसिएशन से कुद्रेमुख, मंगलौर और बंगलौर में आवधिक रूप से बातचीत करता है। अनु. जाति/अनु. जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए समुचित कार्रवाई की जाती है।

सभी स्थानों पर 14 अप्रैल 2003 को डॉ.बी.आर. अम्बेडकर जयन्ती मनाई गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

1 उत्पादकता के लिए "सकारात्मक कार्य संस्कृति" पर 13 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें 250 कर्मचारी शामिल हुए। इसमें से 35 कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के और 6 महिला कर्मचारी थीं।

2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन के

सदस्यों के लिए आरक्षण नीति के संबंध में विशेष कार्यक्रम का आयोजन।

3 विभिन्न कार्यक्रमों, सेमीनारों और सम्मेलनों के लिए 154 कार्यपालक नमित किए गए। इनमें से 19 कार्यपालक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के थे।

मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल)

समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी उपाय किए गए :

(क) आदिवासी गांवों को गोदी लेना।

(ख) आर्थिक विकास के लिए रेशम पालन की शिक्षा।

(ग) आसपास की खानों में स्कूलों को सहायता देना।

(घ) चिकित्सा कैम्प/रक्त दान कैम्प/शिशु कल्याण कैम्प आयोजित करना।

(ड.) पानी की सप्लाई योजना के लिए ग्राम पंचायतों को अनुदान सहायता।

(च) उन सामाजिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देना जो बुजुर्ग और विकलांगों के पुर्नस्थापना के लिए कार्य करते हैं।

मॉयल गरीब वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी उपाय करता है ताकि उनके जीवन स्तर को उठाया जा सके।

एमएसटीसी लिमिटेड

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण, छूट, रियासत आदि के संबंध में सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के निदेशों को किसी भी मामले में कार्रवाई करते/निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाता है। भर्ती और पदोन्नति से संबंधित मामलों में निदेशों का पालन करने के लिए बेहतर प्रयास किए जाते हैं। विभागीय पदोन्नति समितियों और चयन समितियों (भर्ती के मामले में) में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

आरक्षित श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों की क्षमता में सुधार करने और भविष्य में उच्च स्थिति ग्रहण करने के लिए उन्हें तैयार करने हेतु उनके कार्य से संबंधित क्षेत्रों में उनके प्रशिक्षण और विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। 2003-2004 (31.12.03) के दौरान अनुसूचित जनजाति के 9 ओर अनुसूचित जाति के 4 कर्मचारियों को आन्तरिक और संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया। इसके अतिरिक्त उन्हें कम्पनी के अन्य कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सभी सुविधाएं प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त एमएसटीसी द्वारा अनु.जाति/अनु. जनजाति कर्मचारी परिषद को सभी सम्भव सहयोग और सहायता उपलब्ध कराई गई। यह परिषद मुख्य रूप से कम्पनी के आरक्षित वर्गों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए काम करती है।

फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

कम्पनी ने कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी

Untitled-4 99 9/30/04, 11:11 AM

योजनाएं बनाई हैं और वह उन्हें कर्मचारियों की सम्पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कर रही है।

कम्पनी ने गरीब वर्गों के उत्थान के लिए एक योजना कार्यान्वित की है जिसमें पास के गांव के एक सरकारी स्कूल के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों के कक्षा IX, X और XII की 3 प्रतिभाशील छात्र और छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कापियां वितरित की जाती हैं।

मेकॉन लिमिटेड

सुविधाओं के सुधार के लिए सामुदायिक विकास कार्यों के लिए 2003-2004 की वार्षिक योजना में समाज के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए 1.3 लाख रुपए प्रत्यक्ष खर्च के लिए तथा सामुदायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वृक्षारोपण, सामुदायिक औषधि, आदर्श गांव, संसाधन सृजन योजना, विविध व्यय और श्री कृष्णा मैमोरियल पार्क के रख-रखाव आदि के लिए 1 लाख रुपए श्रमघंटों के लिए प्रावधान किया गया है।

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.

जिन क्षेत्रों में अधिकांशतः अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं वहीं एच एस सी एल विद्यालय उपलब्ध करवाने में सहायता करती रही है।

अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और शारीरिक विकलांग कर्मचारियों के बच्चों को परियोजना स्थल के विद्यालयों में प्राथमिकता दी जाती है।

अनु. जाति/अनु.ज.जाति/अन्य पिछड़े वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति के संबंध में केंद्र सरकार के निर्देशों को कार्यान्वित किया जाता है। तथापि 2003-2004 के दौरान कोई नियुक्ति/पदोन्नति नहीं की गई है।

Untitled-4 100 9/30/04, 11:11 AM